न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः–831/20 (जीसीएमएस नं. 2020/00557)

01. सुभाष पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम रतनपुरा हरिपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर स्थायी निवासी मौहल्ला सिल्लागला कस्बा शाहजहॉपुर, तहसील नीमराना, जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. श्रीमती मीरा देवी धर्मपत्नी संतोष कुमार, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम रतनपुपरा हरीपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
02. श्री मदनलाल पुत्र श्री कालूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रतनपुरा हरीपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

03. संतोष कुमार पुत्र कालूराम कम्हार जाति कुम्हार निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
04. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
05. श्रीमती प्रेमदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री महावीर प्रसाद मीना,
06 सुश्री अनिता पुत्री स्व. श्री महावीर प्रसाद मीना,
07 बहादुर सिंह,
08. शंकर,
09 भूपेन्द्र पुत्रान श्री महावीर प्रसाद मीना निवासी मौहल्ला सिल्लागला, कस्बा शाहजहॉपुर तहसील नीमराना जिला अलवर।
10. श्रीमती सुमन पुत्री स्व. श्री महावीर प्रसाद मीना धर्मपत्नी श्री नवीन प्रकाश मीना निवासी ग्राम अजाड़ीकला, तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झनू।
11. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व. श्री महावीर प्रसाद मीना धर्मपत्नी श्री सुनील मीना निवासी ग्राम बल्लुपुरा, तहसील पाटन जिला सीकर।

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 12.07.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम रतनपुरा–हीरापुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 446 रकबा 0.78 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 447 रकबा 0.53 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 हैक्टयर में अपीलार्थी के पिता स्व.

P.T.O.

श्री महावीर प्रसाद मीना का 2/3 हिस्सा राजस्व भू अभिलेखों में अंकित था

तथा श्री महावीर प्रसाद मीना का दिनांक 18.03.2000 को स्वर्गवास हो गया और उनके देहान्त के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 1009 दिनांक 06.10.2010 को अपीलार्थी एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 12 के नाम स्वीकृत किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2065 में उसका अंकन कर दिया गया। उन्होंने कथन किया है कि कालान्तर में लक्ष्मीनारायण के वारिसान ने अपने नाम अंकित 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से एक ही विक्रय पत्र के द्वारा कर दिया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उनके नाम नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 21.05.2017 को स्वीकृत किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 01.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया और उक्त वाद में अपीलार्थी व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 12 को पक्षकार बनाये जाने के बावजदू भी उनके विरूद्ध नोटिस जारी करवाऐ बिना ही दिनांक 25.06.2017 को प्राथमिक डिक्री प्राप्त कर ली तथा अधीनस्थ न्यायालय से षड़यंत्र कर अंतिम निर्णय एवं डिक्री विभाजन भी दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त कर ली जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढ़ी खसरा नम्बर 447/1 एवं 447/2 वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 सें 12 के हकपूर्वाअधिकारी श्री महावीर प्रसाद मीना को अप्रार्थी संख्या 1 के रूप से पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धान्तों एवं बाध्यकारी नियमों की अवहेलना करते हुए स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता के देहान्त के बाद नामान्तरकरण संख्या 1009 दिनांक 06.10.2010 के आधार पर अपीलार्थी एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 12 के नाम राजस्व भू अभिलेखों में अंकित किया जा चुका है जिसकी पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट को है किन्तु फिर भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध ना सिर्फ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने षड़यंत्र रचकर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के साथ मिलकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है अपितू स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी नियमित वाद में अपीलार्थी एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 12 प्रक्षकार रहे है जिन्हे उक्त समस्त तथ्यों की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपसी षडयंत्र रचकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2019 पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2019 को निरस्त फरमाया जावें

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा दौराने बहस उन्होने यह भी कथन किया है कि यदि प्रकरण दोनों पक्ष की उपस्थिति में दोनों पक्ष की सुनवाई पश्चात् पुनः नये सिरे से निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ को रिमाण्ड किया जाता है तो इसके लिये उन्हे कोई आपत्ति नही है, जिस पर अधिवक्ता अपीलान्ट ने भी अपनी सहमति दी है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट के पूर्वज महावीर पुत्र हनुमान सहाय की मृत्यु दिनांक 18.03.2000 हो गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2019 को पारित किया गया है जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने बाबत उभयपक्ष के अधिवक्तागण की आपसी सहमति भी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण एक माह की अवधि में किया जावें। अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट्स दिनांक 20.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।